परिशिष्ट का प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 3640 के प्रश्नांश ''ख'' की जानकारी

बैठक दिनांक 29.07.2016, सदस्य श्री आर.डी. प्रजापति

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49–ई (2) के प्रावधान

''**(ख)** मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, –

(एक) धारा 54 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है, की जाएगी.

(दो) ऐसी सोसाइटी के जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारोबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी.

(तीन) अन्य दशाओं में, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी.''

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.